

## कार्यालय आख्या एस 06

सभी पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि सुनवाई दिनांक 06.10.2025 में सूचीबद्धवादों की सुनवाई मा0राज्य सूचना आयुक्त महोदय के अवकाश पर होने के कारण भौतिक/कम्प्यूटरीकृत पत्रावलियों से सम्बन्धितवादों की सुनवाई दिनांक 06.10.2025 के स्थान पर दिनांक 08.12.2025 नियत की जाती है।

आज्ञा से

मा0, राज्य सूचना आयुक्त,



पेशकार एस-6

अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता का नाम .....

विपक्षी नाम.....

पदनाम.....